



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड—1

PART I—Section—1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 19, 2017/पौष 29, 1938

No. 19]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 19, 2017/PAUSA 29, 1938

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2017

फा.सं. 5(4)-बी(पीडी)/2016.—एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या फा. 16 (1) – पीडी/75, दिनांक 30 जून, 1975 में घोषित गैर-सरकारी भविष्य निधियों, अधिवर्षिता निधियों तथा उपदान निधियों के लिए विशेष जमा योजना के तहत जमा की गई राशियों पर 1 जनवरी, 2017 से 31 मार्च, 2017 तक 8.0% (आठ प्रतिशत) ब्याज लगेगा। यह ब्याज दर 1 जनवरी, 2017 से लागू होगी।

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2017

No.5(4)-B(PD)/2016.—It is hereby notified that the deposits made under the Special Deposit Scheme for Non-Government Provident, Superannuation and Gratuity Funds, announced in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No.F.16(1)-PD/75 dated 30th June, 1975, shall with effect from 1st January, 2017 to 31st March, 2017, bear interest at 8.0% (eight per cent). This rate will be in force w.e.f. 1st January, 2017.

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.